revalidation of the unutilised grant has been duly approved by the Central Government.

10 किलोग्राम अनाज प्रदान करने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन

496. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में आधे मूल्य पर प्रति परिवार 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) सस्ते मूल्य पर दिए जा रहे अनाज की राज्य-वार दर क्या है; और

(घ) किन-किन राज्यों में उक्त योजना लागू नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं?

खाद्य तथा उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रतिमास 10 किलोग्राम खाद्यान्न देने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना पंजाब, दिल्ली, गोवा और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित कर दी गई है।

(ख) इस योजना के अधीन लाभान्वित होने वाले गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की राज्यवार संख्या विवरण-1 में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ग) खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों का राज्यवार ब्यौरा दिए गए विवरण-II में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(घ) यह योजना पंजाब, दिल्ली और गोवा के राज्यों तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में आरम्भ नहीं की गई है। ये राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रबंध कर रहे हैं जिनमें गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, सतर्कता समितियां गठित करना, आदि शामिल हैं।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभान्वित होने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या (लाख में)
आंध्र प्रदेश	32.65
अरूणाचल प्रदेश	0.74
असम	19.06
बिहार	85.90
गोवा	0.38
गुजरात	19.95
हरियाणा	7.33
हिमाचल प्रदेश	2.96
जम्मू और कश्मीर	3.80
कर्नाटक	28.75
केरल	15.35
मध्य प्रदेश	53.34
महाराष्ट्र	60.45
मणिपुर	1.08
मेघालय	1.33
मिजोरम	0.33
नागालैण्ड	0.88
उड़ीसा	31.82
पंजाब	4.30
राजस्थान	21.66
सिक्किम	0.34
तमिलनाडु	45.79
त्रिपुरा	2.21
उत्तर प्रदेश	95.48
पश्चिम बंगाल	46.59
दिल्ली	2.96
अंडमान और निकोबार	0.22
चण्डीगढ़	0.18
दादर और नगर हवेली	0.14
लक्षद्वीप	0.02
पांडिचेरी	0.65
जोड़	586.64

विवरण-II

सार्वजनिक विरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्गम मूल्य (रु०/कि०ग्राम०)		कैफियत		
			गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल बढ़िया	उत्तम
आंध्र प्रदेश	—	3.50	5.00	7.00	8.00
अरूणाचल प्रदेश	3.00	4.00	5.00	7.00	8.00
असम	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०	
बिहार	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०	
गोवा	ल०सा०वि०प्र० शुरू नहीं की गई				
गुजरात	*2.00	—	उ०न०		
हरियाणा	3.00	—	5.00	—	
हिमाचल प्रदेश	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०	
जम्मू और कश्मीर	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०	
कर्नाटक	3.00	4.00	5.00	—	8.10
केरल	—	3.80	5.00	—	8.00
मध्य प्रदेश	3.00	4.00			3.00
	केन्द्रीय निर्गम मूल्य + वास्तविक				
महाराष्ट्र	3.00	4.00	5.00	7.50	7.90
मणिपुर	3.00	4.00	5.00	7.00	8.00
मेघालय	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०	
मिजोरम	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०	
नागालैण्ड	3.00	4.00	5.10	7.10	8.10
उड़ीसा	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०	
पंजाब	ल० सा० वि० प्र० शुरू नहीं की गई				
राजस्थान	3.00	4.00	5.10	7.15	8.20
सिक्किम	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०	
तमिलनाडु	—	2.00 & 3.75	उ०न०	उ०न०	
त्रिपुरा	3.00	4.00	5.10	7.10	8.10
उत्तर प्रदेश	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०	
पश्चिम बंगाल	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०	
अंडमान और निकोबार	3.00	4.00	उ०न०	उ०न०	
चण्डीगढ़	2.80	3.80	उ०न०	उ०न०	
दमन और दीव			उ०न०		
दादर नागर हवेली			उ०न०		
दिल्ली	ल० सा० वि० प्र० शुरू नहीं की गई				

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्गम मूल्य (रु०/कि०ग्रा०)				वैकल्पिक
	गरीबी रेखा से नीचे(गरीबी रेखा से ऊ				
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल बढ़िया	उत्त
लक्षद्वीप	ल० सा० वि० प्र० शुरू नहीं की गई				
पांडिचेरी	—	4.00	—	7.00	8.00

*अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

Introduction of New PDS

497. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the new PDS has been introduced;

(b) if so, how it is different from the present system;

(c) how many persons are benefited by the subsidised Rice scheme in the country, State-wise;

(d) whether all the persons below poverty line have been given the ration cards for the subsidised foodgrain; and

(e) what is the total food subsidy given so far in 1996-97 and 1997-98 till date?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS RAGHUBANS PRASAD SINGH): (a) Yes, Sir. Targeted PDS has been introduced in all States and Union Territories except Delhi, Goa, Punjab & Lakshdweep.

(b) Under the previous arrangement for Public Distribution foodgrains were given to every card holder at uniform prices except in RPDS areas. Under the new Public Distribution System (Targetted PDS) 10 kg. of foodgrains per family, per month, are issued to the families Below Poverty Line (BPL) at specially subsidised prices. The number of BPL families is fixed as per the estimates arrived at by the Planning Commission using the methodology of the Expert Group under Prof. Lakdawala. Foodgrains to Above Poverty line (APL) population are given at AFL prices. Besides, it is proposed to issue specially subsidised foodgrains to the beneficiaries of EAs/ JRY Schemes @ 1 Kg per person day.

(c) Under the Targetted PDS Scheme 32.03 crore people Below Poverty Line (BPL) will be benefited under specially subsidised foodgrains Scheme. Statewise position is indicated in the Statement *(See below)*.

(d) All States/UTs except 4 States/UTs mentioned at (a) above have implemented TPDS. While some State Govts. have issued special ration cards to persons below poverty line, other States have made endorsement on the existing ration cards to identify the persons below poverty line.

(e) An amount of Rs. 5166 crores have been provided to Food Corporation of India, as subsidy during 1996-97. A sum of Rs. 2901 crores have been released towards subsidy on foodgrains during 1997-98. This is inclusive of Rs. 750 crores for reimbursement of transit and storage loss regularised in 1995-96 and financial claims for 1995-96.